न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री के.के.शर्मा, आई0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील संख्या :-8/2011/भीलवाड़ा (2011/00019)

1. श्रीमती टमू पत्नि देवीलाल गाडरी पूर्णिया,
2. श्रीमती मांगी पत्नि बंशीलाल गाडरी पूर्णिया,
   समस्त निवासी आलोली, तह0 सहाड़ा, जिला भीलवाड़ा ।

अपीलांट्स

बनाम

1. श्रीमती डाली पुत्री प्रताप गाडरी,
2. श्रीमती रूपा पुत्री प्रताप गाडरी (फौत) जरिये वारिसानः-
   2/1- रामलाल पति स्व0 रूपा,
   2/2- नारायण पुत्र रामलाल,
   निवासी ग्राम सुरावास, तह0 सहाड़ा, जिला भीलवाड़ा ।
   2/3- बाली पुत्री रामलाल पत्नि भैरूलाल, नि0 गितास, तह0 रेलमगरा, जिला रामसमन्द ।
3. कालू पुत्र प्रताप गाडरी,
4. श्रीमती शांतिदेवी पत्नि शंकरलाल पूर्णिया,
5. श्रीमती शंकरी पत्नि किशन पूर्णिया,
   समस्त निवासीगण पोटला, तहसील सहाड़ा, जिला भीलवाड़ा ।

रेस्पोंडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 विरूद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर, जिला भीलवाड़ा दिनांक 20.12.2010 अंतर्गत प्रकरण संख्या 6/2010 .

उपस्थितः-

1. श्री ईश्वर देवड़ा, वकील अपीलांट्स ।
2. श्री मदनलाल गुर्जर, वकील रेस्पो0 संख्या 1 व 2.
3. रेस्पो0 संख्या 3 व 5 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक :- 9.7.2018

अपीलांटस ने यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर, जिला भीलवाड़ा (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्धारा पारित निर्णय दिनांक 20.12.2010 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं। xx

1- प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पोटला तहसील सहाड़ा, जिला भीलवाडत्रा स्थित आराजी नंबर 866, 908,, 926, 1267, 1450/7728, 1508, 1512, 1513, 1514, 1523, 1524,1535, 1562,3931, 865, 959 कुल किता 17 रकबा 5.59 है भूमि प्रताप गाडरी पुत्र उदा गाडरी की पैतृक सम्पति होकर रिकार्डेड खातेदार दर्ज चले आ रहे थ्ह्रे । प्रताप गाडरी के देहांत उपरांत प्रश्नगत भूमि कानूनन उनके वारिस रेस्पो0 संख्या 3 कालू पुत्र प्रताप के नाम जरिये नामांतकरण संख्या 481 दिनांक 23.12.2003 को दर्ज की गई । तद्पोरांत प्रश्नगत भूमि का एकमात्र खातेदार कालू पुत्र प्रताप दर्ज खातेदार चला आ रहा था । वर्ष 2006 व 2008 में प्रश्नगत भूमि के रिकार्डेड खातेदार ने उक्त भूमि जरिये पृथक-पृथक रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अपीलांटस एवं रेस्पो0 संख्या 4 व 5 को विक्रय कर कब्जा सुपुर्द कर दिया । उक्त विक्रय पत्र के आधार पर क्रेतागण के पक्ष में नामांतकरण तस्दीक किया जाकर राजस्व रिकार्ड में प्रश्नगत भूमि का खातेदार दर्ज किया गया । अपीलांटस अपनी क्रयशुदा भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे है । रेस्पो0 संख्या 3 के पक्ष में तस्दीकशुदा नामांतकरण संख्या 481 दिनांक 23.12.2003 के विरूद्ध रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने लगभग 7 वर्ष पश्चात् मियाद बाहर अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर के न्यायालय में प्रस्तुत कर स्वंय को प्रताप गाडरी के वारिसान होना बताते हुए प्रश्नगत भूमि में स्वंय का हिस्सा होने का कथन किया तथा तथाकथित नामांतकरण संख्या 481 को खारिज किये जाने का निवेदन किया । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर ने दिनांक 20.12.2010 को को प्रकरण में निर्णय पारित कर रेस्पो0 संख्या 1 व 2 की अपील स्वीकार करते हुए नामांतकरण संख्या 481 दिनांक 23.12.2003 को निरस्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार, सहाड़ा को समुचित जांच कर निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

2- अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंटस के उपस्थित होने तथा अधी0न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांटस एवं रेस्पोडेंटस की बहस सुनी गई । xx

3- अपीलान्ट्स के विद्वान अभिभाषक ने दौराने बहस अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 ने राजस्थान भू-राजस्व अधि0, सिविल प्रक्रिया संहिता व हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 में प्रावधित प्रावधानों को पूर्णतया नजर अंदाज कर सरसरी तौर पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो अविधिक होकर निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने इस महत्वपूर्ण बिन्दू को नजरअंदाज किया कि प्रश्नगत आराजियात के निस्फ हिस्से के वर्तमान रिकार्डेड खातेदार अपीलांटस है जिन्हें प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतानुसार सुनवाई हेतु समुचित अवसर देने के उपरांत ही निर्णय पारित किया जाना चाहिये था, परन्तु अधी0न्याया0 ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत केवल मात्र रेस्पो0 संख्या 1 व 2 को लाभ पहुंचाने की गरज से प्रकरण को शिविर में नियत कर अपीलांटस के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए निर्णय पारित किया है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 व 2 नामांतकरण संख्या 481 में पक्षकार नहीं थे, यदि रेस्पो0 उक्त नामांतरकरण से असंतुष्ट थे तो उन्हें उक्त नामांतकरण के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने से पूर्व प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 के तहत आज्ञा लेना आवश्यक था, किन्तु रेस्पो0 संख्या 1 व 2 द्वारा न्यायालय से अपील प्रस्तुत करने बाबत् कोई इजाजत नहीं ली गई परन्तु इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने उक्त महत्वपूर्ण विधिक बिन्दु को नजरअंदाज कर अपीलाधीन निर्णय पारित करने में त्रुटि कारित की है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 व 2 द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष नामांतकरण संख्या 481 दिनांक 23.12.2003 के विरूद्ध लगभग 7 वर्ष बाद भारी मियाद बाहर अपील प्रस्तुत की गई थी तथा अपील के साथ प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र में विलंब के समुचित कारण अंकित नहीं किये जाने के बावजूद अपील को अंदर मियाद मानने में त्रुटि कारित की है। विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 ने इस महत्वपूर्ण विधिक बिन्दू को नजर अंदाज किया कि हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 के तहत वर्ष 2005 में संशोधन से पूर्व पैतृक भूमि में पुत्रियों को कोई प्राप्त नहीं होते है एवं ना ही उन्हें को-पार्सनर माना जा सकता है । प्रस्तुत प्रकरण में प्रश्नगत भूमि पैतृक होकर प्रताप की खातेदारी में दर्ज थी तथा वर्ष 2003 में प्रताप के देहांत उपरांत कानूनन उक्त भूमि जरिये नामांतकरण संख्या 481 दिनांक 23.12.2003 द्वारा उनके एकमात्र पुत्र रेस्पो0 संख्या 3 कालू के नाम दर्ज की गई थी जो पूर्णतया विधिसम्मत् थी परन्तु अधी0न्याया0 ने उक्त विधिक स्थिति को नजरअंदाज कर अपीलाधीन निर्णय पारित करने में त्रुटि कारित की है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि नामांतकरण की कार्यवाही एक संक्षिप्त कार्यवाही है जिसमें किसी के हक, अधिकारों का निस्तारण नहीं किया जा सकता है, यदि कोई पक्षकार प्रश्नगत भूमि में अपने हक, अधिकार होने संबंधी कथन करता है तो उन्हें सक्षम न्यायालय में नियमित वाद प्रस्तुत कर अपने हक व अधिकार घोषित कराने चाहिये । विद्वान अधी0न्याया0 ने इन सब तथ्यों

को नजरअंदाज कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधि विरूद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य है । अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय दिनांक 20.12.2010 अपास्त किया जावे एवं नामांतकरण संख्या 481 दिनांक 23.12.2003 को यथावत् रखा जावे । विद्वान वकील अपीलांट्स ने अपने कथनों के समर्थन में आर0आर0डी0 2009 पेज 264, ए0आई0आर0 2009 पेज 618, आर0एल0डब्ल्यू0 2012 पार्ट–1 राज0 पेज 690 एवं आर0बी0जे0 2010 (10) पेज 281 के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये । xx

4- विद्वान वकील रेस्पोडेटस संख्या 1 एवं 2 ने जवाब बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसम्मत् है । विवादित आराजियात के खातेदार काश्तकार प्रताप गाडरी थे । रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 3 मृतक खातेदार प्रताप गाडरी की जायंदा संताने होकर तीनों प्रताप के प्रथम श्रेणी के वारिसान होने से वादग्रस्त आराजियात में प्रत्येक का 1/3 हिस्सा निहित है किन्तु रेस्पो0 संख्या 3 कालू ने समस्त आराजियात अपने नाम जरिये नामांतकरण संख्या 481 के दर्ज करवा ली जो प्रारंभ से अवैध एवं शून्य प्रभावी है तथा ऐसे अवैध आदेश के विरूद्ध धारा 96 जा0दी0 के प्रार्थना पत्र की आवश्यकता नहीं है । विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने बहस में आगे कथन किया कि ग्राम पंचायत पोटला ने प्रताप की मृत्यु उपरांत मृतक खातेदार के विधिक वारिसान की जांच किये बिना नामांतकरण संख्या 481 तस्दीक किया है जो सर्वथा विधि के प्रतिकूल है । तथाकथित नामांतकरण स्वीकृत करते समय रेस्पो0 संख्या 1 व 2 को न तो कोई सूचना पत्र जारी किया गया एवं ना ही सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया है । रेस्पो0 संख्या 1 व 2 मृतक खातेदार प्रताप की जायंदा पुत्रियां होकर खातेदार की प्रथम श्रेणी की वारिसान है जिन्हें उनके हक व अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है । अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन, विश्लेषण उपरांत रेस्पो0 संख्या 1 व 2 की अपील स्वीकार की जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांट्स अपास्त की जावे ।

5- हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं आधार अभिलखों, अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया तथा अभिभाषक अपीलांट्स एवं रेस्पो0 संख्या 1 व 2 की बहस पर मनन किया । पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलांट्स ने विवादित आराजियात जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र विवादित भूमि के खातेदार रेस्पो0 संख्या 3 कालू से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है । उक्त विक्रय पत्रों के आधार पर नामांतकरण संख्या 1095 दिनांक 20.7.2009 अपीलांट संख्या 1 टमूदेवी पत्नि देवीलाल एवं मांगीदेवी पत्नि बंशीलाल के नाम तस्दीक किया गया है । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि विवादित आराजियात का खातेदार मृतक प्रताप गाडरी था जिसकी मृत्यु उपरांत ग्राम पंचायत, पोटला ने विरासत नामांतकरण संख्या 481 दिनांक 23.12.2003 को रेस्पो0 संख्या 3 कालू पुत्र प्रताप के नाम तस्दीक किया गया है । रेस्पो0 संख्या 1 व 2 मृतक खातेदार प्रताप की पुत्रियां है । अपीलांट्स के विद्वान अधिवक्ता ने अपील

मीमों एवं दौराने बहस यह कथन किया कि हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 1956 के तहत वर्ष 2005 में संशोधन से पूर्व पैतृक भूमि में पुत्रियों को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है एवं ना ही उन्हें कोपार्सनर माना जा सकता है । इस संबंध में हमनें विद्वान अधिवक्ता अपीलांटस द्वारा उद्धरित न्यायिक दृष्टांत ए0आई0आर0 2009 पेज 618 में उद्धरित न्यायिक दृष्टांत का ससम्मान अवलोकन किया जिसमें यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि ‘‘ Hindu Succession Act (30 of 1956), S.6 (as amended in 2005)-Right of daughter in coprcenary property-Property in question was sold in execution of decree for specific performance prior to enforcement of Amendment Act of 2005--Execution of sale deed/alienation would not fall within purview of S.6(1)--Daughter cannot claim any right in such property."

6- इसी प्रकार न्यायिक दृष्टांत आर0एल0डब्ल्यू0 2012 (1) राज0 पेज 690में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि ‘‘ हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 1956, धारा 6 एवं 6 (5) (यथा संशोधित)–सहदायिकी सम्पति में पुत्री का अधिकार–अभिनिर्धारित–नई धारा 9 सितम्बर 2005 से संयुक्त हिन्दू परिवार के पुरूष एवं महिला सदस्यों के मध्य सहदायिकी सम्पति में अधिकारों की समानता हेतु उपबंध करता है–पैतृक सम्पति में पुत्री अपना हिस्सा पाने की हकदार है–धारा 6(5) के संशोधित प्रावधान दिनांक 20.12.2004 से पूर्व किये गये विभाजनों पर लागू नहीं होगें ।’’

7- प्रस्तुत प्रकरण के संबंध में उपलब्ध साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि पैतृक होकर प्रताप की खातेदारी में दर्ज थी तथा वर्ष 2003 में प्रताप का देहांत होने के उपरांत विवादित आरायिजात जरिये नामांतकरण संख्या 481 दिनांक 23.12.2003 के रेस्पो0 संख्या 3 कालू पुत्र प्रताप के नाम दर्ज की गई है तत्पश्चात् रेस्पो0 संख्या 3 कालू ने विवादित आराजियात अलग–अलग पंजीकृत विक्रय पत्रों के माध्यम से अपीलांट संख्या 1 व 2 को विक्रय की है तथा उक्त विक्रय पत्रों की पालना में रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के नाम नामांतकरण संख्या 1095 संस्थित किया जा चुका है । अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों के अवलोकन से यह पूर्णतया स्पष्ट है कि हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 1956 की धारा 6 एवं 6 (5) में दिनांक 9.9.2005 को संशोधन किया जाकर पुत्रियों को पिता की संपति में कोपार्सनर माना गया है किन्तु उक्त संशोधित प्रावधान दिनांक 20.12.2004 से पूर्व किये गये विभाजनों पर लागू नहीं होने का प्रावधान भी किया गया है जबकि प्रस्तुत प्रकरण में खातेदार प्रताप की मृत्यु वर्ष 2003 में होने के उपरांत विवादित आराजियात का विरासत नामांतकरण संख्या 481 दिनांक 23.12.2003 को रेस्पो0 संख्या 3 कालू पुत्र प्रताप के नाम तस्दीक किया गया है जो निश्चित रूप से हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 की धारा 6 एवं 6 (5) में दिनांक 9.9.2005 में किये गये संशोधन दिनांक 9.9.2005 के पूर्व का होने से रेस्पो0 संख्या 1 व 2 को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं होते है। अधी0न्याया0 ने हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 की धारा 6 एवं 6 (5) में दिनांक 9.9.2005 को किये गये संशोधित प्रावधानों को नजरअदांज कर नामांतकरण संख्या 481

दिनांक 23.12.2003 को अपास्त करने में विधिक त्रुटि कारित की है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांटस स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 का निर्णय दिनांक 20.12.2010 अपास्त योग्य पाया जाता है ।

–:क्रियात्मक आदेशः–

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 8/2011 (2011/00019) बउनवानी श्रीमती टमू बनाम श्रीमती डाली को स्वीकार किया जाता है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर, जिला भीलवाड़ा द्वारा अपील संख्या 6/2010 बउनवान श्रीमती डाली बनाम कालू में पारित निर्णय दिनांक 20.12.2010 को अपास्त किया जाता है तथा ग्राम पंचायत, पोटला द्वारा संस्थित नामांतकरण संख्या 481 दिनांक 23.12.2003 को यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

आदेश आज दिनांक 9.7.2018 को मेरे द्धारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर